जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./18/डी– 380 दिनांकः– 31-5-18

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 143वीं बैठक दिनांकः 28.05.2018 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		143:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 142वीं बैठक दिनांक 26.03.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 128वीं से 142वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 142वीं बैठक दिनांक 26.03.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 128 से 142 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	5	143:2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को उच्च/स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस हेतु शांति नगर में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को उच्च/स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस हेतु शांति नगर योजना के भूखण्ड संख्या 478 व 493 के पूर्व में स्थित तथा भूखण्ड संख्या 479 व 492 के पश्चिम में स्थित भूमि में से मन्दिर को छोड़कर शेष 863.00 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शांति नगर में स्थित खुली भूमि है। उक्त योजना तकनीकी रूप से अनुमोदित योजना है। संबंधित विकास समिति द्वारा उक्त भूमि हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को शांति नगर योजना में उपलब्ध उक्त 863.00 वर्गमीटर भूमि स्वच्छ जलाशय व पम्प हाउस निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	8	143:3	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु जविप्रा की योजना वेस्टवे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में स्थित भूखण्ड संख्या एफ–3 में से क्षेत्रफल 10500 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु जविप्रा की योजना वेस्टवे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में स्थित भूखण्ड संख्या एफ–3 क्षेत्रफल 15008 वर्गमीटर में से 12000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उक्त भूमि अत्यधिक होने से विभाग को भूमि की मात्रा के संबंध में पुनर्विचार करने हेतु कहा गया था। विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.04.18 में यह अवगत कराया गया है कि भूमि L Shape में देने पर 11000 वर्गमीटर व Regular Shape में देने पर 10500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त क्षेत्र में विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वेस्टवे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में स्थित भूखण्ड संख्या एफ–3 क्षेत्रफल 15008 वर्गमीटर में से आयताकार 10500 वर्गमीटर भूमि इन्टर मिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं स्वच्छ जलाशय (24 मिलियन लीटर क्षमता का) निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। प्रकरण निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाने का निर्णय लिया गया।

(एल.पी.सी.)
... विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	9	143:4	अखिल भारतीय रबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान को छात्रावास हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 में अखिल भारतीय रबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान, हरिद्वार को छात्रावास हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2सी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु संस्था द्वारा उक्त भूमि आवंटन हेतु सहमति नहीं दी गई। अतः उपायुक्त द्वारा संस्था को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–4 क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 में छात्रावास हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में लिये गये निर्णय को निरस्त कर संस्था को छात्रावास हेतु जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–4 क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) दर पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5.	10	143:5	पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को हाथीगाँव परियोजना की भूमि हस्तांतरण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार को हाथीगाँव परियोजना की ग्राम आमेर तहसील आमेर की कुल 30.34 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तावानुसार आवंटन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
6.	10	143:6	भूखण्ड संख्या बी–350 योजना पालडीमीणा के बढे हुये क्षेत्रफल की भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा पालडीमीणा योजना के भूखण्ड संख्या बी–350 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर का आवंटन कैलाश चन्द को किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थिया श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री पूरणमल सामरिया द्वारा उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया गया। मौके पर उक्त भूखण्ड के समीप 16.50 वर्गमीटर भूमि बढ़ी हुई है, जिसे प्रार्थिया द्वारा आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल 16.50 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होने बाबत टिप्पणी अंकित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड संख्या बी–350 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 16.50 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	11	143:7	श्री रूपनारायण पुत्र श्री नरसी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम महापुरा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 22/बी क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर अनुमोदित मानचित्र में सृजित नहीं होने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड समान स्थिति का दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री रूपनारायण पुत्र श्री नरसी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम महापुरा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 22/बी क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड अनुमोदित मानचित्र में सृजित नहीं है। आवंटी उक्त भूखण्ड के समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड ही आवंटन चाहता है। उपायुक्त द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम महापुरा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 22/बी के स्थान पर ग्राम महापुरा के भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर या समीप के ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के भूखण्ड संख्या 65, 66, 73 व 76 प्रत्येक क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा

उप. प्रायुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				विचार विमर्श कर सेज पुनर्वास योजना ग्राम महापुरा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 22/बी के स्थान पर समान चौड़ाई की सड़क पर सेज पुनर्वास योजना ग्राम ग्राम महापुरा के भूखण्ड संख्या 64 क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर या समीप के ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के भूखण्ड संख्या 65, 66, 73 व 76 प्रत्येक क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड का लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	143:8	श्री मुकेश अग्रवाल एचयूएफ कर्ता श्री मुकेश अग्रवाल को सेज पुनर्वास गोजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–64–सी का आवंटित क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 5.25 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री मुकेश अग्रवाल एचयूएफ कर्ता श्री मुकेश अग्रवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–64–सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 5.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10 13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या एस–64–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 5.25 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें।
9.	11	143:9	श्री पवन कुमार बजाज (एचयूएफ) पुत्र स्व. श्री सोहनलाल बजाज को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–497 का आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल-बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 8.87 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री पवन कुमार बजाज (एचयूएफ) पुत्र स्व. श्री सोहनलाल बजाज को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–497 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 8.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या ए–497 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 8.87 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	12	143:10	सरदार पटेल, पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को ग्लोबल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	सरदार पटेल, पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म की स्थापना हेतु दहमीकलां संस्थानिक क्षेत्र में 30–40 एकड भूमि का आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त जोन–12 द्वारा विश्वविद्यालय को दहमीकलां संस्थानिक योजना के भूखण्ड संख्या 08 में से 3.00 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम बडी.कारोड, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117 रकबा 0.37 है. किस्म चरागाह, खसरा नं. 118 रकबा 5.29 है. किस्म चरागाह, खसरा नं. 119 रकबा 1.40 है. किस्म चरागाह एवं खसरा नं. 120 रकबा 7.04 है. किस्म चरागाह

				कुल किता 4 में से 8.80 हैक्टेयर अर्थात् दोनों ग्रामों की कुल 11.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विश्वविद्यालय को ग्लोबल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म हेतु प्रस्तावित 11.80 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने की अभिशंषा सहित निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
11.	13	143:11	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चौमू को राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3655 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी में से 500 वर्गमीटर भूमि अम्बेडकर भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चौमू को राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3655 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी में से 500 वर्गमीटर भूमि अम्बेडकर भवन हेतु आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि आवंटन की स्वीकृति दिनांक 04.04.18 को आयुक्त महोदय से प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण में राशि जमा है व नगर पालिका को कब्जा हस्तांतरित कर दिया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
12.	13	143:12	नगर पालिका चौमू को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के अन्तर्गत वनीकरण हेतु राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3149/3 रकबा 1. 97 हैक्टेयर, 3161 रकबा 2.02 हैक्टेयर, 3166/1 रकबा 4.96 हैक्टेयर में से 20000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में उपायुक्त जोन–13 को निर्देशित किया गया कि स्वयं मौका देखकर रिपोर्ट करें कि उक्त स्थान वनीकरण हेतु उपयुक्त है अथवा अन्य कोई उपयोग किया जा सकता है।
13.	13	143:13	सहायक अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., कानोता हेतु राजस्व ग्राम ड्योडा चौड़ तहसील बस्सी के खसरा नं. 25 रकबा 14–04 बीघा, किस्म बंजड़ में से 2500 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सहायक अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., कानोता हेतु राजस्व ग्राम ड्योडा चौड़ तहसील बस्सी के खसरा नं. 25 रकबा 14–04 बीघा, किस्म बंजड़ में से 2500 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त ग्राम में जीएसएस स्वीकृत न होकर ग्राम रामरतनपुरा में स्वीकृत होने से प्रकरण निरस्त किया गया।
14.	13	143:14	मंडल अभियंता (योजना एवं मुख्यालय) भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार, जयपुर हेतु राजस्व ग्राम अचरोल तहसील आमेर के खसरा नं. 2236/1 में से 303.51 वर्गमीटर भूमि बीएसएनएल टावर एवं टेलीफोन एक्सचेंज (उक्त भूमि पर पूर्व में मोबाईल टावर लगा हुआ है) हेतु आवंटित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा मंडल अभियंता (योजना एवं मुख्यालय) भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार, जयपुर हेतु राजस्व ग्राम अचरोल तहसील आमेर के खसरा नं. 2236/1 में से 303.51 वर्गमीटर भूमि बीएसएनएल टावर एवं टेलीफोन एक्सचेंज (उक्त भूमि पर पूर्व में मोबाईल टावर लगा हुआ है) हेतु आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा कई वर्षो से टावर बनाया हुआ है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बीएसएनएल (राजकीय कम्पनी) को राजस्व ग्राम अचरोल के खसरा नं. 2236/1 में से 303.51 वर्गमीटर बीएसएनएल टावर एवं टेलीफोन एक्सचेंज हेतु प्रचलित डी.एल.सी. की दुगुनी दर + 20 प्रतिशत (नगरीय निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	13	143:15	पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा उपकेन्द्र–रामरतनपुरा के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम – रामरतनपुरा	उपायुक्त जोन–13 द्वारा पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा उपकेन्द्र–रामरतनपुरा के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम रामरतनपुरा तहसील बस्सी के खसरा नं. 125 रकबा 4–18 बीघा में से 0–07 बिस्वा (अर्थात 1058.75 वर्गगज) भूमि

			तहसील बस्सी के खसरा नं. 125 रकबा 4–18 बीघा में से 0–07 बिस्वा (अर्थात 1058.75 वर्गगज) भूमि आवंटित करने बाबत।	आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम रामरतनपुरा के खसरा नं. 125 में से 0–07 बिस्वा (अर्थात 1058.75 वर्गगज) भूमि पशु उपकेन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।
16.	13	143:16	जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना साईस टेक सिटी अचरोल के भूखण्ड संख्या सी–19 क्षेत्रफल 450.00 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय में 112.50 वर्गमीटर का नवीन रिक्त भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्री सुमित अग्रवाल, श्री चैतन्य प्रकाश गोयल, श्री अनिल गोयल को अवाप्तशुदा भूमि के बदले जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना साईस टेक सिटी अचरोल के भूखण्ड संख्या सी–19 क्षेत्रफल 112.5 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड अनुमोदित मानचित्र अनुसार 450.00 वर्गमीटर का है। प्रार्थीगण द्वारा केवल 112.5 वर्गमीटर का ही आवंटन चाहा गया है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या सी–19 के स्थान पर नवीन रिक्त भूखण्ड संख्या सी–24, सी–25, सी–26, सी–36, सी–32, सी–34, सी–37, सी–50, सी–51, सी–52, सी–59 एवं सी–60 प्रत्येक क्षेत्रफल 112.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर साईस टेक सिटी, अचरोल के भूखण्ड संख्या सी–19 के स्थान पर नवीन रिक्त भूखण्ड संख्या सी–24, सी–25, सी–26, सी–36, सी–32, सी–34, सी–37, सी–50, सी–51, सी–52, सी–59 एवं सी–60 प्रत्येक क्षेत्रफल 112.5 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
17.	14	143:17	सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 161 रकबा 2.03 हैक्टेयर में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 161 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा के खसरा नं. 161 में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त द्वारा भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।
18.	14	143:18	सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नाटानीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 13 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नाटानीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 13 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ

				नाटानीवाला के खसरा नं. 13 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
19.	14	143:19	सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 254 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 254 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बडी का बास के खसरा नं. 254 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
20.	14	143:20	सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 84 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बडी का बास को ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 84 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बडी का बास के खसरा नं. 84 रकबा 0.10 हैक्टेयर (अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि का प्रावधान होने से एवं इसी ग्राम में अन्य श्मशान हेतु 1000 वर्गमीटर देने से) भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
21.	14	143:21	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना में ग्राम पंचायत बाडा पदमपुरा के क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 99, 160 से 165 एवं 168 की भूमि किस्म गै.मु. आबादी भूमि रिंग रोड परियोजना से प्रभावित होने से ग्राम पंचायत को बदले में भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत बाडा पदमपुरा के क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 99, 160 से 165 एवं 168 किस्म गै.मु. आबादी की 1.44 हैक्टेयर भूमि में से 7900 वर्गमीटर भूमि रिंग रोड परियोजना से प्रभावित है। जिसमें से 836.92 वर्गमीटर भूमि के बदले देय मुआवजा प्रभावित भवनधारी को दिया जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा शेष 7063.08 वर्गमीटर भूमि का क्लेम चाहा जा रहा है। उपायुक्त द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 65 रकबा 8.24 हैक्टेयर (6. 24 हैक्टेयर) में से 7063.08 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत को दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सरपंच द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि पर रिंग रोड परियोजना से प्रभावित सभी प्रकरणों का निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा को ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू की रिंग रोड परियोजना से प्रभावित भूमि के बदले ग्राम गोरधनुपरा के खसरा नं. 65 में से 7063.08 वर्गमीटर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की

				प्लानिंग भी कराई जावें।
22.	14	143:22	ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा में किसान सेवा केन्द्र (मिनी सचिवालय) हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 333 ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू जविप्रा की ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना से प्रभावित होने के कारण ग्राम पंचायत को किसान सेवा केन्द्र को अन्यत्र भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा में किसान सेवा केन्द्र (मिनी सचिवालय) हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 333 रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि जविप्रा की ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना से प्रभावित है। अतः उक्त भूमि के स्थान पर उपायुक्त द्वारा ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 121 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है। ग्राम बाडापदमपुरा का खसरा नं. 333 रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि मुताबिक रिकॉर्ड गै.मु. आबादी राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अवाप्ति से प्रभावित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा को खसरा नं. 333 की भूमि के बदले में ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नं. 121 में से 1000 वर्गमीटर भूमि किसान सेवा केन्द्र (मिनी सचिवालय) हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
23.	14	143:23	श्री लाभेश्वर जैन पुत्र श्री विनेश्वर जैन को जविप्रा की आवासीय योजना विप्र विहार के भूखण्ड संख्या 142 क्षेत्रफल 162 व.मी. को विनिमय में आवंटन करने बाबत।	श्री लाभेश्वर जैन पुत्र श्री विनेश्वर जैन को जविप्रा की आवासीय योजना विप्र विहार के भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 162 व.मी. का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की जा चुकी है। उक्त योजना का संशोधित मानचित्र दिनांक 07.05.15 का जारी किया गया है। जिसमें उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण लॉटरी दिनांक 30.06.16 में भूखण्ड संख्या 200 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर विनिमय में दिया गया। संशोधित भूखण्ड के सामने तारबंदी होने के कारण भूखण्ड की सम्पूर्ण भूमि नहीं मिल रही है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान सड़क के भूखण्ड संख्या 142 (नॉन कॉर्नर) क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी की 141वीं बैठक में भूमि की पैमाईश करा कब्जा प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त के अनुसार उक्त भूखण्ड जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर सृजित नहीं किया गया। अतः पुनः विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 200 के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान सड़क के भूखण्ड संख्या 142 (नॉन कॉर्नर) क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
24.	2	143:24	राजस्थान जाट समाज संस्थान को विद्याधर नगर में 3100 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा राजस्थान जाट समाज संस्थान को ग्रामीण महिला शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र व आवास भवन के लिए विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नम्बर–4 के संशोधित मानचित्र में सृजित संस्थानिक भूखण्ड 4/I/6, 4/I/7, 4/I/8 क्षेत्रफल 3100 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था को पूर्व में सामुदायिक केन्द्र, ग्रामीण छात्राओं के लिए छात्रावास, संस्था के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–4 के भूखण्ड संख्या 3, 4 व 5 क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 01.04.99 को राज्य सरकार की स्वीकृति से आरक्षित दर की 10 प्रतिशत पर किया गया था। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार "किसी भी

आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण,

				संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी + 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.4 में "जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.5 में "किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जायेगा।" का प्रावधान है। एजेण्डा नोट के अनुसार पूर्व में आवंटित भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जा रहा है। आवंटन नीति–2015 में ग्रामीण महिला शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र व आवास भवन हेतु भूमि आवंटन के मापदण्ड वर्णित नहीं है। एजेण्डा नोट में उक्त भूमि बेशकीमती श्रेणी की होना अंकित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को ग्रामीण महिला शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र व आवास भवन के लिए विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नम्बर–4 के संशोधित मानचित्र में सृजित संस्थानिक भूखण्ड 4/I/6, 4/I/7, 4/I/8 क्षेत्रफल 3100 वर्गमीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने, प्रकरण में आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 6.3 से 6.5 के संबंध में शिथिलता व भूमि का मापदण्ड निर्धारित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
25.	9	143:25	महर्षि दधीचि जन शिक्षा समिति को शैक्षणिक संस्थान निर्माण एवं छात्रावास हेतु ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा बैठक के दौरान संशोधित एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार महर्षि दधीचि जन शिक्षा समिति हेतु शैक्षणिक संस्थान निर्माण एवं छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 323 कुल रकवा 5.34 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 22775 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। आवंटन नीति–2015 के अनुसार सीनियर सैकण्डरी स्कूल हेतु 4000 वर्गमीटर एवं महाविद्यालय हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। विद्यालय/महाविद्यालय के साथ छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्तावित होने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि आवंटन का प्रावधान है। खसरा नं. 323 की कुल 53400 वर्गमीटर प्रस्तावित भूमि में 6830.09 वर्गमीटर भूमि तालाब एवं 1293. 91 वर्गमीटर भूमि तालाब की पाल से प्रभावित है। इसके अलावा उक्त भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु, सैक्टर कॉमर्शियल की 440 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक पट्टी हेतु, श्मशान से लगती हुई व्यावसायिक/आवासीय 1988.85 वर्गमीटर भूमि जविप्रा के हित आरक्षित रखी गई है। उक्त भूमि पर 32 परिवारों द्वारा अतिक्रमण कर रहवास किया जा रहा है। जिनके पुनर्वास हेतु 4571 वर्गमीटर भूमि आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार उपायुक्त द्वारा संस्था को 22775.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को ग्राम जयसिंहपुरा

				बास जीरोता के खसरा नं. 323 में से 22775.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ अनुमत सीमा से अधिक भूमि के आवंटन के संबंध में शिथिलता हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
26.	12	143:26	श्री खाण्डल विप्र विद्यालय समिति को स्वप्न लोक योजना में बालिका महाविद्यालय हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा श्री खाण्डल विप्र विद्यालय समिति, एस–2, सेक्टर–1, विद्याधर नगर, जयपुर को बालिका महाविद्यालय व छात्रावास हेतु ग्राम जाहौता तहसील आमेर में जविप्रा द्वारा सृजित स्वप्न लोक योजना में स्थित संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 10533 वर्गमीटर में से 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था को पूर्व में विद्यालय भवन हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–1 के भूखण्ड संख्या एस–1 क्षेत्रफल 4327 वर्गमीटर का आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति से आरक्षित दर की 10 प्रतिशत पर किया गया था। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार "किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी + 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.4 में "जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.5 में "किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।" का प्रावधान है। एजेण्डा नोट के अनुसार पूर्व में आवंटित भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जा रहा है। प्रस्तावित भूमि पर मौके पर आंशिक भूमि पर कमरा निर्मित होना अंकित किया है। जिसे संबधित द्वारा शिफ्ट करने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को बालिका महाविद्यालय के लिए स्वप्न लोक योजना स्थित संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 10533 वर्गमीटर में से 10000 वर्गमीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने, प्रकरण में आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 6.3 से 6.5 के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
27.	13	143:27	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम बूडथल तहसील आमेर में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सहायक अभियंता (वि.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जैतपुरा, जयपुर को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु राजस्व ग्राम बूडथल तहसील आमेर के खसरा नं. 745/1293 रकबा 6.62 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम बूडथल तहसील आमेर के खसरा नं. 745/1293 में से 1000 वर्गमीटर भूमि वर्तमान प्रचलित डी.

				एल.सी. दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
28.	9	143:27(1)	महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 से सम्मानित शिक्षक श्री विनोद कुमार जैन को खूसर विस्तार योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 से सम्मानित शिक्षकों श्री विनोद कुमार जैन को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध 162 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में निकाली गई लॉटरी में इन्हें भूखण्ड संख्या 67 आवंटन किया गया था। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में उक्त श्रेणी के शिक्षकों को अधिकतम 200 वर्गमीटर तक का भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। अतः उपायुक्त द्वारा पूर्व में 162 वर्गमीटर के भूखण्ड के किये गये आवंटन निरस्त कर नवसृजित 200 वर्गमीटर के भूखण्ड संख्या 275 से 279 में से नॉन कॉर्नर एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्डों का अनुमोदन पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में होना शेष है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में किये गये भूखण्ड संख्या 67 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का आवंटन निरस्त कर नवसृजित भूखण्ड संख्या 275 से 279 (पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की प्रत्याशा में) प्रत्येक क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
29.	9	143:27(2)	महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 से सम्मानित शिक्षक श्री सुरेश चन्द पाटीदार को खूसर विस्तार योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	बैठक के प्रस्ताव संख्या 143:27 (1) के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
30.	9	143:27(3)	महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 से सम्मानित शिक्षक श्रीमती आशा जैन को खूसर विस्तार योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	बैठक के प्रस्ताव संख्या 143:27 (1) के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
31.	9	143:27(4)	वर्ल्ड रिन्यूअल स्प्रिच्यूअल ट्रस्ट को जविप्रा की योजना सिरोली दांतली में भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 13037.64 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	वर्ल्ड रिन्यूअल स्प्रिच्यूअल ट्रस्ट द्वारा अपने आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नारी उत्थान, व्यसन मुक्ति, हरित क्रान्ति, बाल विकास, जीवन प्रबन्धन, बेटी बचाओ–बेटी बढ़ाओं, वृद्ध कल्याण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–9 द्वारा बैठक के दौरान ट्रस्ट को जविप्रा की योजना सिरोली दांतली में भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 13037.64 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। संस्था की भगीनी संस्था राजयोगा एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन को पूर्व में वैशाली नगर में 1000 वर्गमीटर दिनांक 27.05.93 व 1000 वर्गमीटर दिनांक 14.11.2000 को एवं राजापार्क में 412.68 व.मी. दिनांक 10.05.90 को आवंटन की गई है। नगरीय विकास विभाग की

उपायुक्त (भूमि ...)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार "किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी + 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.4 में "जिस संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।" का प्रावधान है। बिन्दु संख्या 6.5 में "किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।" का प्रावधान है। एजेण्डा नोट के अनुसार पूर्व में आवंटित भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जा रहा है। आवंटन नीति–2015 में वांछित उद्देश्यों हेतु भूमि आवंटन के प्रावधान व मापदण्ड वर्णित नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ट्रस्ट को नारी उत्थान, व्यसन मुक्ति, हरित क्रान्ति, बाल विकास, जीवन प्रबन्धन, बेटी बचाओ–बेटी बढ़ाओं, वृद्ध कल्याण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जविप्रा की योजना सिरोली दांतली में भूखण्ड संख्या आई–1 क्षेत्रफल 13037.64 वर्गमीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने, प्रकरण में आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 6.3 से 6.5 के संबंध में शिथिलता व भूमि का मापदण्ड निर्धारित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
32.	8	143:27(5)	सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई उद्योगों के लिए प्रस्तावित सीईटीपी के लिये पम्पिंग स्टेशन के लिये 300.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा सांगानेर इनवायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट (SEPD) को सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई उद्योगों के लिए प्रस्तावित सीईटीपी के पम्पिंग स्टेशन के लिये सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र में माता अमृतानंदमयी चैरीटेबल ट्रस्ट को आवंटित 30 बीघा भूमि में से 300.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि जिस ट्रस्ट को आवंटित भूमि का भाग है, वह ट्रस्ट आवंटित भूमि में से काम में आई 7768.13 वर्गमीटर भूमि को छोड़कर शेष भूमि समर्पित करना चाहती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एसईपीडी के लिए सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र में 300 वर्गमीटर भूमि पम्पिंग स्टेशन हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
33.	12	143:27(6)	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. को ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1387 रकबा 12.05 हैक्टेयर में आवंटित 5000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त कर जे.वी.वी.एन.एल. को 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के आधार पर एलपीसी की 80वीं बैठक दिनांक 11.08.11 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. को ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1387 रकबा 12.05 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जिसका आवंटन सह मांग पत्र दिनांक 29.12.11 को अधीक्षण अभियंता (जजिवृ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को जारी किया गया। जिसकी मांग राशि जमा नहीं कराई गई। अधीक्षण अभियंता (जजिवृ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर द्वारा दिनांक 02.02.16 को पत्र प्रस्तुत कर संशोधित

पुर विकास प्राधिकरण,

				मांग पत्र जारी करने का निवेदन किया गया। जिस पर एलपीसी की 123वीं बैठक दिनांक 11.03.16 में उक्त भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा अब अधीक्षण अभियंता (जजिवृ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर द्वारा दिनांक 07.11.17 को पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में प्रचलित निगम नियमों के अनुरूप 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता बताई जाकर संशोधित मांग पत्र का निवेदन किया है। अतः उपायुक्त द्वारा 1000 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राशि जमा नहीं कराने से पूर्व में आवंटित 5000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त कर अधीक्षण अभियंता (जजिवृ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1387 में से 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन-1 से 14 व पीआरएन (उत्तर-I/II व दक्षिण-I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 143वीं बैठक दिनांक 28.05.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक नंदी, सचिव	सदस्य
3.	श्री हृदेश कुमार जुनेजा, निदेशक(वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
5.	श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री सैयद जैनुद्दीन शाहिद, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राजेश कुमार तुलारा, एसटीपी (बीपीसी–एलपी)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ. सत्य प्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
14.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
15.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
16.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
17.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
18.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण